UPVR040272932019

<u>न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं०-01, वाराणसी</u>

उपस्थित- ईश्वर शरण कन्नौजिया, (उ०प्र०न्यायिक सेवा)

J.O. Code-UP2141

मु०नं०-3495/2019

सरकार----------

अभियोजन।

बनाम

1. रामजनम चौबे पुत्र राजदेव चौबे
2. सुरेन्द्र चौबे पुत्र स्व० चन्द्रशेखर चौबे
3. अमित चौबे पुत्र रामजनम
4. संदीप चौबे पुत्र जोगेन्द्र उर्फ योगेन्द्र चौबे

उपरोक्त निवासीगण ग्राम-बन्तरी, थाना-चोलापुर, वाराणसी।

---------- अभियुक्तगण।

मु०अ०सं०-433/2019

धारा-323,504,325 भा०दं०सं०

थाना-चोलापुर, वाराणसी।

<u>निर्णय</u>

1. पुलिस थाना-चोलापुर, वाराणसी की पुलिस द्वारा मु०अ०सं०-433/2019 में अभियुक्तगण **रामजनम चौबे, सुरेन्द्र चौबे, अमित चौबे व संदीप चौबे** के विरुद्ध धारा-323,504,325 भा०दं०सं० के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अभियुक्तगण का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि दिनांक-03.10.2019 को करीब 8 बजे अभियुक्तगण, वादी मुकदमा का जबरिया बांस का पेड़ काट रहे थे, वादी मुकदमा द्वारा मना करने पर अभियुक्तगण गाली गुप्ता देते हुए लात घुसों व लाठी डण्डा से मारे जिससे वादी मुकदमा को काफी चोट लगी।

3. आरोप-पत्र पर प्रसंज्ञान लिया गया एवं अभियुक्तगण के द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जमानत करायी गयी। अभियुक्तगण को धारा-207 दं०प्र०सं०/230 BNSS के तहत अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयी।

Digitally signed by ESHWAR SARAN KANNAUJIA
Date: 2026.06.02 12:48:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

4. अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा-323,504,325 भा०दं०सं० के तहत आरोप दिनांक-17.08.2022 को विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया और विचारण की याचना की।

5. अभियोजन की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के साथ-साथ अभियोजन साक्ष्य में विरेन्द्र कुमार चौबे को पी०डब्ल्यू० 1 के रूप में परीक्षित कराया गया है।

6. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों व चिकित्सीय प्रपत्रों की औपचारिक वैधता को धारा-294 दं०प्र०सं०/330 BNSS के तहत स्वीकार किया गया तथा वादी मुकदमा के प्रार्थनापत्र, जिसे अभियोजन अधिकारी द्वारा सब्मिटड किया गया है, के आधार पर शेष अभियोजन साक्षियों को साक्ष्य से उन्मोचित किया गया।

7. अभियुक्तगण का बयान मुल्जिम धारा-313 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत दिनांक-01.06.2026 को दर्ज किया गया, जिसमें अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन कथन को गलत बताया गया तथा सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया।

8. विद्वान अभियोजन अधिकारी एवं बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया।

09. अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप है कि उन्होंने वादी मुकदमा के साथ मारपीट कर उपहति कारित करते हुये वादी मुकदमा को गाली देकर शांति भंग किये एवं लाठी डण्डा से मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचायी।

10. पी०डब्ल्यू०-1 विरेन्द्र कुमार चौबे के द्वारा मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि "दिनांक-03.10.2019 को सुबह करीब 8 बजे रामजनम चौबे, सुरेन्द्र चौबे, अमित चौबे व सन्दीप चौबे से पड़ोस में लगे बांस के पेड़ को काटने को लेकर कहा सुनी हो गई थी। शोर सुनकर आये लोगों ने हमारा बीच बचाव करा दिया था। रामजनम, सन्दीप, अमित व सुरेन्द्र ने मेरे साथ कोई मारपीट नहीं की थी और न ही गाली गलौज किया था। मैंने इस घटना के संबंध में लोगों के बहकावे में आकर थाने में NCR दर्ज कराई थी।"

11. उक्त साक्षी से विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई। गवाह को 161 Cr.p.c. का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि "मैंने दरोगाजी को कोई बयान नहीं दिया कैसे लिख दिये मैं नहीं बता सका। यह कहना सही है कि मेरा आपसी समझौता हो गया है। यह कहना गलत है कि समझौता होने के कारण सही बात नहीं बता रहा हूं।"

12. अभियोजन द्वारा अभियुक्त पर लगे उपरोक्त अपराध को सिद्ध करने हेतु अभियोजन साक्षी के रुप में प्रस्तुत पी०डब्ल्यू०-1 विरेन्द्र कुमार चौबे/वादी मुकदमा को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पी०डब्ल्यू०-1 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि *"रामजनम, सन्दीप, अमित व सुरेन्द्र ने मेरे साथ कोई मारपीट नहीं की थी और न ही गाली गलौज किया था। मैंने इस घटना के संबंध में लोगों के बहकावे में आकर थाने में NCR दर्ज कराई थी।"* इस प्रकार उपरोक्त साक्षी के बयान से अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किया साबित नहीं है एवं अभियोजन कथानक संदेह की परिधि में आता प्रतीत होता है तथा अभियोजन कथानक घटना को साबित करने में असफल रहा है।

13. उपरोक्त साक्षी के अतिरिक्त अभियोजन की ओर से कोई अन्य स्वतंत्र एवं चक्षुदर्शी साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार पी०डब्ल्यू०-1 के बयान के आधार पर अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा-323,504,325 भा०दं०सं० दोषसिद्ध किया जाना विधिसम्मत नहीं है। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा-323,504,325 भा०दं०सं० युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है।

14. यह स्थापित विधि व्यवस्था है कि अभियोजन अपने ठोस साक्ष्य से न्यायालय के समक्ष अपने कथानक को सिद्ध करें। किंतु प्रस्तुत मामले में अभियोजन द्वारा अपने कथानक को सिद्ध करने हेतु कोई विश्वसनीय, स्वतंत्र व चक्षुदर्शी साक्षी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन द्वारा अभियुक्त पर लगाये गये आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं है। अभियोजन का दायित्व है कि वह अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को संदेह से परे साबित करें, परन्तु इस मामले में अभियोजन पक्ष ऐसा करने में पूर्णतया असफल रहा है।

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **एच. पी. एडमिनिस्ट्रेशन बनाम ओम प्रकाश, ए.आई.आर. 1972 सुप्रीम कोर्ट 975** में यह अवधारित किया गया है कि प्रत्येक संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जायेगा। इसी प्रकार **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था हरेन्द्र बनाम आसाम राज्य, ए.आई.आर. 2008 सुप्रीम कोर्ट 2467** में यह अवधारित किया है कि अभियोजन को अपना पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध प्रत्येक संदेह से परे सिद्ध करना होगा एवं संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जायेगा।

16. उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोजन कथानक को साबित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभियोजन अभियुक्तगण पर

लगाये गये आरोप को युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतएव अभियुक्तगण धारा-323,504,325 भा०दं०सं० के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

मुकदमा सं०-3495/2019, मु०अ०सं०-433/2019, थाना-चोलापुर, जिला-वाराणसी में **अभियुक्तगण रामजनम चौबे, सुरेन्द्र चौबे, अमित चौबे व संदीप चौबे** को आरोप अंतर्गत धारा-323,504,325 भा०दं०सं० से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर है। उनके प्रतिभूओं को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि धारा-437A दं०प्र०सं०/485BNSS के अनुपालन में 25,000/-रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के एक-एक नवीन प्रतिभू दाखिल करना सुनिश्चित करें, जिनका दायित्व अपील की मियाद अवधि तक विस्तृत रहेगा।

दिनांकः-02.06.2026

(ईश्वर शरण कन्नौजिया)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट सं०-1 वाराणसी।
J.O. Code-UP2141

उपरोक्त निर्णय व आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांकः-02.06.2026

(ईश्वर शरण कन्नौजिया)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट सं०-1 वाराणसी।
J.O. Code-UP2141

Steno-Pankaj Singh